न्यायालय अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार गौतम, आर.ए.एस.

अपील संख्या 2018/00091 दायर दिनांक 07.08.2018

1. भंवरलाल पुत्र गोमाराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
2. राजुराम पुत्र गोमाराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
3. महावीर पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू। —अपीलान्ट—

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र सोहनराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
2. प्रतापसिंह पुत्र सोहनराम जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू। —रेस्पोडेन्ट—

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 11.06.2018 तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू द्वारा प्रार्थना—पत्र सं. 36/14 अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट. में पारित किया जाकर अपीलान्ट के खसरा सं. 224 रोही गाँव अमरपुरा मे से 8 फुट चौड़ाई का रास्ता नजरी नक्शा दिनांक 23.12.2011 के अनुसार खुलवाये जाने का आदेश पारित किया वास्ते अपास्त करने उपर्युक्त निर्णय अपील अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट. 1955

उपस्थित :—

1. श्री ललित गौतम, अधिवक्ता वास्ते अपीलांट।
2. श्री नरेन्द्र सिहाग, अधिवक्ता वास्ते रेस्पोडेन्ट।

निर्णय दिनांक 20.05.2022

यह अपील श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरु के न्यायालय से सुनवाई हेतु स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज (ऑनलाईन पोर्टल) की गई। इस अपील में अपीलांट के मुख्य कथन इस प्रकार है:—

1. यह कि तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.06.2018 अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट. खिलाफ कानून विपरीत पत्रावली एवं विरूद्ध तथ्य के पारित किया गया होने के कारण अपास्त किये जाने काबिल है।
2. यह कि अपीलान्ट के खातेदारी के खसरा नं. 224 गांव अमरपुरा में से कभीं कोई रास्ता आवागमन हेतु रेस्पोडेट के खातेदारी के खसरा नं. 236/230 व 237/230 का नही रहा है इसलिये अपीलान्ट द्वारा रास्ता अवरुद्ध करना कतई साबित नहीं रहा है। रेस्पोडेट अपने खेतो मे आने जाने के लिये कटानी रास्ता जो अमरपुरा गांव से झाडसर छोटा जाता है इसी रास्ते से रेस्पोडेट आवागमन करते है अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.01.2018 को पारित आदेश के बाद कोई मौका नहीं देखा ना ही कोई मौका रिर्पोट बनाई दिनांक 23.12.2011 का नक्शा को आधार मानकर 8 फुट चौडाई तक का रास्ता खोलने का आदेश दिया है जो कतई न्यायोचित नही है। दिनांक 23.12.2011 की कोई स्थिति वर्तमान तक हुबहु नहीं मानी जा सकती इसलिये आदेश जैर अपील विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने काबिल है।
3. यह कि रेस्पोडेन्ट दोनो सगे भाई है, जिन्होंने जानबुझकर 7—8 साल से अपीलांट को तंग परेशान कर अपीलांट के खेत में से जबरन रास्ता कायम करना चाहते है। इस रास्ता के बाबत रेस्पोडेन्ट ने सिविल न्यायालय राजगढ़ में काउन्टर क्लेम किया था, जो खारिज कर दिया गया था, जब सिविल न्यायालय की

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

फाईडिंग विवादित रास्ता बाबत आ गई, तब उस निर्णय को राजस्व न्यायालय द्वारा बदला नहीं जा सकता ओर ना ही उस निर्णय को ओवरलुक किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार राजगढ द्वारा पारित आदेश अपास्त किये जाने काबिल है।

4. यह कि निर्णय दिनांक 11.06.2018 की कोई सूचना अपीलाट को अपीलाट के अधिवक्ता ने नहीं दी रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 17.07.2018 को अपीलांट के खेत में से जबरन जाने की कोशिश की तो अपीलांट ने उनको रोका व अपने खेत मे से नहीं जाने दिया तब रेस्पोडेन्ट ने कहा कि तहसीलदार राजगढ ने हमें 8 फुट चौडा रास्ता दिलाया है, तब अपीलांट भंवरलाल अपने अधिवक्ता श्री बृजमोहन शर्मा के पास आये तथा प्रार्थना पत्र के निर्णय का पता किया व प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये दिनांक 17.07.2018 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 23.07.2018 को प्रमाणित प्रतिलिपी निर्णय की प्रति प्राप्त की गई। प्राप्त निर्णय की प्रति होने पर अपीलांट को सर्वप्रथम दिनांक 23.07.2018 को निर्णय का ज्ञान हुआ, जिस ज्ञान की दिनांक से यह अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। मियाद माफी का प्रार्थना पत्र पेश है।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ की मिसल संख्या 36/2014 तलब की गई।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को अपनी बहस में दोहराते हुए कहा कि अपीलान्ट के खातेदारी के खसरा नं. 224 गांव अमरपुरा में से कभी कोई रास्ता आवागमन हेतु रेस्पोडेट के खातेदारी के खसरा नं. 236/230 व 237/230 का नही रहा है। रेस्पोडेट अपने खेतो मे आने जाने के लिये कटानी रास्ता जो अमरपुरा गांव से झाडसर छोटा जाता है इसी रास्ते से रेस्पोडेट आवागमन करते है अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.01.2018 को पारित आदेश के बाद कोई मौका नही देखा ना ही कोई मौका रिर्पोट बनाई दिनांक 23.12.2011 का नक्शा को आधार मानकर 8 फुट चौडाई तक का रास्ता खोलने का आदेश दिया है। इस रास्ता के बाबत रेस्पोडेन्ट ने सिविल न्यायालय राजगढ़ में काउन्टर क्लेम किया था, जो खारिज कर दिया गया था, जब सिविल न्यायालय की फाईडिंग विवादित रास्ता बाबत आ गई, तब उस निर्णय को राजस्व न्यायालय द्वारा बदला नहीं जा सकता ओर ना ही उस निर्णय को ओवरलुक किया जा सकता है।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि खेत खसरा नम्बर 224 अमरपुरा से झाड़सर बड़ा को जाने वाला रास्ता हैं। जो प्रचलित रास्ता हैं। इसी रास्ते में से होकर रेस्पोडेन्ट अपने खेत में आने–जाने के लिए आवागमन करते हैं। तहसीलदार राजगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 11.06.2018 में उक्त बन्द रास्ते खुलवाये जाने का आदेश पारित किया हैं। अतः तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.06.2018 उचित हैं। अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अपीलांट अधिवक्ता एवं रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट का यह कथन है कि पूर्व में भी विवादित रास्ते के संबंध में तहसीलदार राजगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.11.2011 के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, चूरू को पेश की गई थी जिसके निर्णयानुसार अपीलांट को सबूत, सुनवाई का अवसर देते हुए अपील रिमाण्ड की गई थी किन्तु तहसीलदार महोदय ने अपीलांट को कोई सबूत, सुनवाई का अवसर नहीं दिया। इसलिए मानने योग्य नहीं है क्योंकि तहसीलदार महोदय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट की तामील होने के उपरान्त अपीलांट की ओर से

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

दिनांक 14.03.2018 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है तथा दिनांक 24.04.2018 को तहसीलदार राजगढ़ के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट का यह कथन कि रेस्पोडेट अपने खेतों में आने जाने के लिये कटानी रास्ता जो अमरपुरा गांव से झाडसर छोटा जाता है, से रेस्पोडेट आवागमन करते हैं इसलिए मानने योग्य नही हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 23.12.2011 व 10.04.2014 में यह स्पष्ट अंकन है कि ख.नं 236/230 व ख.नं. 237/230 के काश्तकार ख.नं. 224 में से 8 फीट के प्रचलित पगडंडी के रास्ते से आवागमन करते है तथा ख.नं. 236/230 व ख.नं 237/230 के बीच में भी कटानी रास्ता है। उक्त मौका फर्द में ख.नं. 224 में से पगडंडी के रास्ते के होने का स्पष्ट अंकन है। उक्त फर्द मौका रिपोर्ट पटवार हल्का भुवाड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक डोकवा की उपस्थिति में ही तैयार की गई है। इसी आधार में विद्वान तहसीलदार ने निर्णय दिनांक 11.06.2018 पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय तहसीलदार राजगढ़ दिनांक 11.06.2018 को यथावत् रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति संलग्न कर भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

(लोकेश कुमार गौतम)
अति0 जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, चूरू
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू